



## भाकृअनुप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान

### संस्थान

जी.टी. रोड, रावतपुर, कानपुर – 208 002  
(उत्तर प्रदेश)

An ISO 9001:2015 Certified

(O) : (0512) 2533560, 2554746  
Fax : (0512) 2533560, 2554746  
Website : <http://atarik.res.in>  
E-mail : [zpdicarkanpur@gmail.com](mailto:zpdicarkanpur@gmail.com)

डा. अतर सिंह  
निदेशक


दि.: 26-06-2021

### वर्ष 2021 के आगामी 6 माह की कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियों की तैयारी के लिये कार्यशाला

दि. 26 जून 2021 को भाकृअनुप-अटारी कानपुर द्वारा उ.प्र. के कृषि विज्ञान केन्द्रों की आगामी 6 माह की गतिविधियों की तैयारी विशेषकर खरीफ ऋतु की बुवाई की स्थिति, रबी की तैयारी, प्रक्षेत्र प्रदर्शनों की स्थिति, बजट की स्थिति, विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य, प्रशिक्षणों, प्रयुक्त तकनीकों संबंधित दिशा निर्देश देने के लिये आनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता डा. अतर सिंह, निदेशक भाकृअनुप-अटारी कानपुर ने की।

अटारी निदेशक डा. अतर सिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्र समस्त इन्फारमेशन समय पर उपलब्ध कराये जिससे हेडक्वार्टर को समय पर जानकारी पहुँचाई जा सके। साथ ही समस्त केवीके एवं निदेशक प्रसार यू.सी. एवं ए.यू.सी. समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे समय पर बजट उपलब्ध कराया जा सके। कई केवीके विशेषकर ए. एन.डी.यू.ए.टी. एवं भाकृअनुप केवीके की यू.सी. व ए.यू.सी. समय पर नहीं प्राप्त हो रही है। सी.एफ.एल.डी. तिलहन-दलहन के अन्तर्गत एरिया एलाटमेंट कर दिया गया है, बजट भी आने पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अन्तर्गत जो क्षेत्रफल आवंटित किया गया है वह अनिवार्य है तथा उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सी.एफ.एल.डी. तिलहन-दलहन के अन्तर्गत केवीके जो भी किसान चयनित करें उनकी सूची अटारी को अवश्य भेजें। सी. एफ.एल.डी. के अन्तर्गत 1 क्लस्टर 10 हैक्टेयर का बने। सी.एफ.एल.डी. दलहन में जिसमें जिनका 100 है. से अधिक का क्षेत्र है वे 1 वर्ष के लिये पल्सेस टेक्नोलाजी एजेन्ट रखेंगे। भाकृअनुप की तरफ से जो बायोफोर्टिफाइड किस्में जारी की गई हैं उनका 10 प्रतिशत तथा 10 प्रशित एस्पैरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रदर्शन लगायें। समस्त एफ.एल.डी. की जियो टैगिंग कराना जरूरी है। एस.सी.एस.पी. प्रोजेक्ट भारत सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है परन्तु इसके अन्तर्गत बहुत कम धनराशि खर्च की गई है, धनराशि बचने पर पर पैसा वापस चला जाता है तथा बजट कम हो जाएगा अतः केवीके यह सुनिश्चित करें कि धन का उपयोग हो। केवीके में विषय वस्तु विशेषज्ञ वैज्ञानिक अपने विषयानुसार किसानों से संपर्क करके प्रयुक्त तकनीकों पर उनका फीडबैक लें। डी.एफ.आई. का फारमैट सबको उपलब्ध करा दिया गया है। प्रत्येक केवीके को फारमैट में प्रति केवीके 110 किसानों की सफलता की कहानी का डाक्यूमेंटेशन करना है। केवीके प्रदर्शनों की फोटोग्राफी के लिये मोबाइल कैमरा की जगह डिजिटल कैमरा का प्रयोग करें। अधिकतर केवीके को कैमरा उपलब्ध कराया गया है। प्रदर्शनों से पहले एव बाद में अच्छी क्वालिटी की फोटो अवश्य लें। एफ.पी. ओ. की जानकारी देने के लिये केवीके कैम्पस में फ्लो चार्ट एवं अन्य जानकारियों के चार्ट अवश्य उपलब्ध कराये जिससे किसान जानकारी प्राप्त कर सकें।

कार्यशाला में डा. अतर सिंह भाकृअनुप-अटारी कानपुर निदेशक, अटारी के पधान वैज्ञानिक एवं अधिकारी, समस्त उ.प्र. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के निदेशक प्रसार, भाकृअनुप संस्थानों के निदेशक, कृषि विज्ञान केन्द्रों के अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक सहित 200 से अधिक की संख्या में प्रतिभागी आनलाइन उपस्थित रहे।



वर्ष 2021 के आगामी 6 माह की कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियों की तैयारी के लिये कार्यशाला

दि.

26 जून 2021 को भाकृ अनुप-अटारी कानपुर द्वारा उ.प्र.

के कृषि विज्ञान केन्द्रों की आगामी 6 माह की गतिविधियों की तैयारी विशेषकर खरीफ ऋतु की बुवाई की स्थिति, रबी की तैयारी, प्रक्षेत्र प्रदर्शनों की स्थिति, बजट की स्थिति, विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य, प्रशिक्षणों, प्रयुक्त कनीकों संबंधित दिशानिर्देश देने के लिये आनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता डा. अतरसिंह, निदेशक भाकृ अनुप-अटारी कानपुर ने की।

अटारी निदेशक डा.

अतरसिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्र समस्त इन्फार्मेशन समय पर उपलब्ध कराये जिससे हेडक्वार्टर को समय पर जानकारी पहुँचाई जा सके। साथ ही समस्त केवीके एवं निदेशक प्रसार यू.सी. एवं ए.यू.सी.

समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे समय पर बजट उपलब्ध कराया जा सके। कई केवीके विशेषकर ए.एन.डी.यू.ए.टी.

एवं भाकृ अनुप केवीके की यू.सी. व ए.यू.सी. समय पर नहीं प्राप्त हो रही है। सी.एफ.एल.डी. तिलहन-दलहन के अन्तर्गत एरिया एलाटमेंट कर दिया गया है,

बजट भी आने पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अन्तर्गत जो क्षेत्रफल आवंटित किया गया है वह अनिवार्य है तथा उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सी.एफ.एल.डी. तिलहन-दलहन के अन्तर्गत केवीके जो भी किसान चयनित करें उनकी सूची अटारी को अवश्य भेजें। सी.एफ.एल.डी.

के अन्तर्गत 1 क्लस्टर 10 है. काबने। सी.एफ.एल.डी. दलहन में जिसमें जिनका 100 है.

से अधिक का क्षेत्र है वे 1 वर्ष के लिये पल्से सटेक्रोलाजी एजेन्टर खेंगे। भाकृ अनुप की तरफ से जो बायोफोर्टिफाइड किस्में जारी की गई हैं उनका 10 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत एस्पेरेशन लडिस्ट्रिक्ट का प्रदर्शन लगायें। समस्त एफ.एल.डी. की जियो टैगिंग कराना जरूरी है। एस.सी.एस.पी.

प्रोजेक्ट भारत सरकार काम हत्व पूर्ण प्रोजेक्ट है परन्तु इसके अन्तर्गत बहुत कम धनराशि खर्च की गई है

धनराशि बचने पर पर पैसा वापस चला जाता है तथा बजट कम हो जाएगा अतः केवीके यहु सुनिश्चित करें कि धन का उपयोग हो। केवीके में विषय वस्तु विशेषज्ञ वैज्ञानिक अपने विषयानुसार किसानों से संपर्क करके प्रयुक्त कनीकों पर उनका फीडबैक लें। डी.एफ.आई.

का फारमैट सबको उपलब्ध करा दिया गया है। प्रत्येक केवीके को फारमैट में प्रतिकेवीके 1-10 किसानों की सफलता की कहानी का डाक्यूमेंटेशन करना है।

केवीके प्रदर्शनों की फोटोग्राफी के लिये मोबाइल कैमरा की जगह डिजिटल कैमरा का प्रयोग करें। अधिकतर केवीके को कैमरा उपलब्ध कराया गया है। प्रदर्शनों से पहले एवं बाद में अच्छी क्वालिटी की फोटो अवश्य लें। एफ.पी.ओ.

की जानकारी देने के लिये केवीके कैम्पस में फ्लो चार्ट एवं अन्य जानकारी के चार्ट अवश्य उपलब्ध कराये जिससे किसान जानकारी प्राप्त कर सकें।

कार्यशाला में डा. अतरसिंह भाकृ अनुप-अटारी कानपुर निदेशक, अटारी के प्रधान वैज्ञानिक एवं अधिकारी, समस्त उ.प्र.

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के निदेशक प्रसार,

भाकृ अनुप संस्थानों के निदेशक,

कृषि विज्ञान केन्द्रों के अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक सहित 200 से अधिक की संख्या में प्रतिभागी आनलाइन उपस्थित रहे।